



## गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

### **GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**

(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009)

Web Site-www.ggu.ac.in, ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148, 154

क्रमांक 82 / अका. / डीन / 2016

बिलासपुर, दिनांक 24-5-2016

### कार्यालयीय ज्ञाप

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 के अंतर्गत पारित परिनियम क्रमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार प्रो०विशन सिंह राठौड़, आचार्य (शारीरिक शिक्षा) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को कुलपति जी द्वारा आगामी स्थायी व्यवस्था होने तक स्कूल ऑफ स्टडीज "विधि" का अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति दिनांक 25-05-2016 से आगामी आदेश तक अथवा स्थायी व्यवस्था होने तक प्रभावी होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/निज सहायक को मान.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. प्रो०विशन सिंह राठौड़, आचार्य (शारीरिक शिक्षा) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, (अंग्रेजी) की ओर प्रभार परिवर्तन के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त अधिष्ठाता/समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त विभाग प्रमुख/समस्त कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

सहायक-कुलसचिव (अका.)